



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक / 1453 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 3/12/2020

✓ वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रायगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

विषय :- वनभूमि व्यपवर्तन के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के पत्र क्रमांक/का.अ./अ.उ.द./निर्माण/संभाग/1042 बिलासपुर दिनांक 05.11.2020।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रान्समिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction Work of 132 KV DCDS Line to Provide Supply Form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये नारंगी वनखण्ड बोरोडीपा, ओडेकेरा, टेकाद्वार का चयन किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये नारंगी वनखण्ड बोरोडीपा खसरा नं. 19/1 रकबा 7.685 हे., ओडेकेरा खसरा नं. 19/4 रकबा 8.076 हे., टेकाद्वार खसरा नं. 311/1 रकबा 3.417 हे. कुल रकबा 19.178 हे. (व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का दोंगुना) भूमि का चयन किया गया है।

उपरोक्तानुसार वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ से प्राप्त अभिमत के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रान्समिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction Work of 132 KV DCDS Line to Provide Supply Form 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये नारंगी वनखण्ड बोरोडीपा, ओडेकेरा, टेकाद्वार का चयन किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये नारंगी वनखण्ड बोरोडीपा खसरा नं. 19/1 रकबा 7.685 हे., ओडेकेरा खसरा नं. 19/4 रकबा 8.076 हे., टेकाद्वार खसरा नं. 311/1 रकबा 3.417 हे. कुल रकबा 19.178 हे. (व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का दोंगुना) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ से प्राप्त अभिमत के आधार पर प्रश्नाधिन भू-खण्ड नारंगी वनक्षेत्र मद की भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा की उपर्युक्त भूमि आवेदक संस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 1453 A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक 3/12/2020

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध-व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी तिफरा बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)